

सेवा में

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-.....

विषय:- राज्य में चालू कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने के लिए, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडल-1, गया/कार्यप्रमंडल-1, शिवहर एवं कार्यप्रमंडल-1, औरंगाबाद को वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त कुल ₹2,75,00,000.00 (दो करोड़ पचहत्तर लाख रु०) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

क्र०स०	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडलो के नाम	कार्यप्रमंडल मुख्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त आवंटित राशि (रु० लाख में)
1	2	3	4
1	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-1	गया	150.00
2	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-1	शिवहर	75.00
3	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-1	औरंगाबाद	50.00
(कुल आवंटन - ₹2,75,00,000.00 (दो करोड़ पचहत्तर लाख रु०))			

आदेश:- स्वीकृत।

2. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।

3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-60 अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0101 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु मांग सं०-22, प्राथमिक ईकाई संख्या-53-01 मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्य योजना स्कीम-HOM-5425 एवं विपत्र कोड संख्या-पी०-4235600510101 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

4. यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित योजना उद्ध्यय के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-4989, दिनांक 16.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं०-2561, दिनांक 17.04.98 का अनुपालन किया जायेगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से गृह विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।

11. स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

